# न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी श्री रामनिवास जाट , आर.ए.एस.

**अपील संख्या : 13/2018 एल.आर. एक्ट**

1. ओम प्रकाश पुत्र श्री ख्यालीराम जाति जाट निवासी ग्राम बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. कृष्ण पुत्र श्री ख्यालीराम जाति जाट निवासी ग्राम बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

**अपीलान्ट्स**

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

**रेस्पोडेन्ट्**

**उपस्थितः** 1. श्री विजयकुमार पारीक – अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सुभाष सहू – राजकीय अभिभाषक

**निर्णय** **दिनांकः 13–09–2019**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 4–12–2017 के विरूद्ध पेश हुई है जिसका सार यह है कि ग्राम बड़ोपल की रोही में ख.नं. 1210/1231 में 55.00 बीघा बारानी रकबा सन् 1983 से आरजी आवंटित रकबा था। आवंटन आदेश दिनांक 4.8.2000 से उक्त रकबा अपीलांट को किमतन पुख्ता आवंटन स्वीकार किया हुआ रकबा है तथा अपीलांट के हक में दिनांक 7.2.2008 को उक्त रकबे की खातेदारी सनद जारी कर दी गई। मातेहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व धारा 136 एल.आर. एक्ट के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की सत्यता की जांच नहीं की है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सूचित किये एवं पीठ पीछे पारित किया हुआ आदेश है जिसे निरस्त फरमाया जावें।
2. पटवारी द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना जमाबन्दी में अपीलांटस के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। ऐसे गैर कानूनी इन्द्राज का कोई विधिक अस्तित्व नहीं होता है तथा सक्षम आदेश के बिना की गई

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रविष्टी को लिपिकीय त्रुटि माना जाकर दुरस्त करने का प्रावधान है। खातेदारी अधिकार खारिज करने का अपीलांट का तर्क अप्रासंगिक है। इस प्रकार की कपट पूर्ण तरीके से की गई प्रविष्टियों के हितधारकों को प्रभावित पक्ष नहीं माना जा सकता तथा न ही विस्तृत सुनवाई का कोई प्रावधान है। अतः अपील सारहीन पाये जाने पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 13–09–2019 को सुनाया गया।

**( रामनिवास जाट )**
**अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,**
**बीकानेर।**